



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2010/वैशाख 6, 1932

No. 213]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2010/VAISAKHA 6, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 349(अ).—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में पुनः संशोधन करने के लिए कतिपय मसौदा नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 26 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 164(अ) के तहत भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 27 फरवरी, 2010 में इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से भारत के जिस राजपत्र में उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गयी हो उसकी प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराये जाने की तिथि से 30 (तीस) दिन की अवधि समाप्त होने तक आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां आम जनता को 27 फरवरी, 2010 को उपलब्ध करवा दी गयी थीं;

और जबकि सरकार द्वारा उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

(1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) वे मई, 2010 के प्रथम दिवस से प्रभावी होंगे।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 50 में जहां कहीं भी "दस हजार रुपये" शब्द हों, उनके स्थान पर "पन्द्रह हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा. सं. एस-38025/04/2010-एसएस-I]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212, दिनांक 22 जून, 1950 के तहत प्रकाशित तथा बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे :—

1. सा.का.नि. सं. 80, दिनांक 9-1-1960
2. सा.का.नि. सं. 1200, दिनांक 27-9-1960
3. सा.का.नि. सं. 594, दिनांक 29-3-1963
4. सा.का.नि. सं. 240, दिनांक 6-2-1964
5. सा.का.नि. सं. 1834, दिनांक 18-12-1964
6. सा.का.नि. सं. 474, दिनांक 19-3-1965
7. सा.का.नि. सं. 1082, दिनांक 29-6-1966
8. सा.का.नि. सं. 545, दिनांक 14-4-1967
9. सा.का.नि. सं. 500, दिनांक 6-3-1968
10. सा.का.नि. सं. 677, दिनांक 29-3-1968
11. सा.का.नि. सं. 1106, दिनांक 22-5-1968
12. सा.का.नि. सं. 2113, दिनांक 28-11-1968
13. सा.का.नि. सं. 306, दिनांक 7-3-1974
14. सा.का.नि. सं. 1122, दिनांक 1-10-1974
15. सा.का.नि. सं. 56, दिनांक 23-12-1976
16. सा.का.नि. सं. 60, दिनांक 5-1-1982
17. सा.का.नि. सं. 129, दिनांक 9-2-1987
18. सा.का.नि. सं. 199, दिनांक 6-3-1990
19. सा.का.नि. सं. 76, दिनांक 22-1-1991
20. सा.का.नि. सं. 368, दिनांक 27-3-1992
21. सा.का.नि. सं. 522, दिनांक 16-11-1996

22. सा.का.नि. सं. 582(अ), दिनांक 23-12-1996
23. सा.का.नि. सं. 225, दिनांक 21-4-1997
24. सा.का.नि. सं. 226, दिनांक 22-4-1997
25. सा.का.नि. सं. 185, दिनांक 1-9-1998
26. सा.का.नि. सं. 129, दिनांक 29-3-2000
27. सा.का.नि. सं. 210, दिनांक 27-3-2001
28. सा.का.नि. सं. 28, दिनांक 2-1-2004
29. सा.का.नि. सं. 172(अ), दिनांक 4-3-2004
30. सा.का.नि. सं. 316, दिनांक 18-9-2004
31. सा.का.नि. सं. 322(अ), दिनांक 17-5-2005
32. सा.का.नि. सं. 591(अ), दिनांक 22-9-2006
33. सा.का.नि. सं. 465(अ), दिनांक 4-7-2007
34. सा.का.नि. सं. 685(अ), दिनांक 31-10-2007
35. सा.का.नि. सं. 254(अ), दिनांक 31-3-2008
36. सा.का.नि. सं. 207(अ), दिनांक 27-11-2008
37. सा.का.नि. सं. 136, दिनांक 14-9-2009

### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2010

**G.S.R. 349(E).**—The following draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published as required under sub-section (1) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment *vide* No. G.S.R. 164(E), dated the 26th February, 2010, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 27th February, 2010 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 27th February, 2010;

And whereas, objections and suggestions received from persons likely to be affected thereby have been considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948, the Central Government, after consultation with Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely :—

1. These Rules may be called the Employees' State Insurance (Central) (Amendment) Rules, 2010.

2. These shall come into force from the 1st day of May, 2010.

3. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in Rule 50, for the words "ten thousand", wherever they occur, the words "fifteen thousand" shall be substituted.

[F. No. S-38025/04/2010-SS-I]

S. D. XAVIER, Under Secy.

**Foot Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and subsequently amended *vide* the following notifications :—

1. G.S.R. No. 80, dated 09-01-1960
2. G.S.R. No. 1200, dated 27-09-1960
3. G.S.R. No. 594, dated 29-03-1963
4. G.S.R. No. 240, dated 06-02-1964
5. G.S.R. No. 1834, dated 18-12-1964
6. G.S.R. No. 474, dated 19-03-1965
7. G.S.R. No. 1082, dated 29-06-1966
8. G.S.R. No. 545, dated 14-04-1967
9. G.S.R. No. 500, dated 06-03-1968
10. G.S.R. No. 677, dated 29-03-1968
11. G.S.R. No. 1106, dated 22-05-1968
12. G.S.R. No. 2113, dated 28-11-1968
13. G.S.R. No. 306, dated 07-03-1974
14. G.S.R. No. 1122, dated 01-10-1974
15. G.S.R. No. 56, dated 23-12-1976
16. G.S.R. No. 60, dated 05-01-1982
17. G.S.R. No. 129, dated 09-02-1987
18. G.S.R. No. 199, dated 06-03-1990
19. G.S.R. No. 76, dated 22-01-1991
20. G.S.R. No. 368, dated 27-03-1992
21. G.S.R. No. 522, dated 16-11-1996
22. G.S.R. No. 582(E), dated 23-12-1996
23. G.S.R. No. 225, dated 21-04-1997
24. G.S.R. No. 226, dated 22-04-1997
25. G.S.R. No. 185, dated 01-09-1998
26. G.S.R. No. 129, dated 29-03-2000
27. G.S.R. No. 210, dated 27-03-2001
28. G.S.R. No. 28, dated 02-01-2004
29. G.S.R. No. 172(E), dated 04-03-2004
30. G.S.R. No. 316, dated 18-09-2004
31. G.S.R. No. 322(E), dated 17-05-2005
32. G.S.R. No. 591(E), dated 22-09-2006
33. G.S.R. No. 465(E), dated 04-07-2007
34. G.S.R. No. 685(E), dated 31-10-2007
35. G.S.R. No. 254(E), dated 31-03-2008
36. G.S.R. No. 207(E), dated 27-11-2008
37. G.S.R. No. 136, dated 14-09-2009